न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 76/2021

1 जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विरेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह।
2 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह।
3 चैनसिंह पुत्र शंकर सिंह।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह।
5 बदन कंवर पत्नी शंकर सिंह।
6 मन्जू कंवर पुत्री शंकर सिंह।
7 जीतू सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
8 उम्मेद सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
9 मोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
10 सोहन सिंह पुत्र जगदीश सिंह।
11 सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह।
12 ओम कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरका लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.09.2021
पास कर्दा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
बमुकदमा उनवानी विरेन्द्र सिंह बनाम शंकर सिंह
मुकदमा नम्बर (11/2013) 114/2014।

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर (11/2013) 114/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 40,418,419,505,506,507 बाबत घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 1,3,4,6 से 9 की और से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि के सन्दर्भ में विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वाद कथन, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के कथनों के अनुसार तनकी कायम नही की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नही किया है। विचारण न्यायालय का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय स्पीकिंग नही है। विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्य का विवेचन नही किया गया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में सहकाश्तकारी की भूमि का विधि में बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारों के मध्य बाहमी विभाजन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में सहकाश्तकारी की भूमि का विधि में बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस विभाजन का प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इसी आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर